"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2006—आषाढ़ 16, शक 1928

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2006

क्रमांक ई-7/9/2004/1/2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 31-05-2006 द्वारा श्री व्ही. के. कपूर, भा. प्र. से. महानिदेशक, छ. ग. प्रशासन अकादमी एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 12-06-2006 से 16-06-2006 तक (05 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 22 जून 2006

क्रमांक ई-7/57/2004/1/2.—सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, भा. प्र. से., विशेष सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को दिनांक 19-06-2006 से 23-06-2006 (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17 एवं 18 जून, 2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री कंगाले, आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री कंगाले को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री कंगाले अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. सुश्री कंगाले के उक्त अवकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग का चालू कार्य श्री अमृत खलखो, अपर कलेक्टर, दुर्ग सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 24 जून 2006

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 22-06-2006 से 26-06-2006 (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2006

क्रमांक 546/439/2006/1-8/स्था.—श्री एस. के. चक्रवर्ती, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 5-6-2006 से 16-6-2006 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चक्रवर्ती को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री चक्रवर्ती अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक 550/467/2006/1-8/स्था.—श्री अनिज टुटेजा, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग को दिनांक 23-6-2006 से 29-6-2006 तक 7 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टुटेजा को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री टुटेजा अवकाश पर नहीं जाते तो, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक 552/506/2006/1-8/स्था.—श्री विक्रम सिंह सिसोदिया, मुख्यमंत्री के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय को दिनांक 3-6-2006 से 9-6-2006 तक 7 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिसोदिया को मुख्यमंत्री के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सिसोदिया अवकाश पर नहीं जाते तो, मुख्यमंत्री के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 जून 2006

क्रमांक 588/432/2006/1-8/स्था.—श्री सुधाकर सोनवाने, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 5-6-2006 से 16-6-2006 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सोनवाने को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सोनवाने अवकाश पर नहीं जाते तो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 जून 2006

क्रमांक 590/512/2006/1-8/स्था.—श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 5-6-2006 से 9-6-2006 तक 5 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 जून 2006

क्रमांक 592/511/2006/1-8/स्था.—श्री एम. एन. राजुरकर, स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, प्रमुख सचिव, वन विभाग को दिनांक 9-6-2006 से 24-6-2006 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-6-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजुरकर को स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजुरकर अवकाश पर नहीं जाते तो, स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 जून 2006

क्रमांक 594/448/2006/1-8/स्था.—श्री के. एल. ग्वाल, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) को दिनांक 12-6-2006 से 26-6-2006 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 10 एवं 11-6-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ग्वाल को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ग्वाल अवकाश पर नहीं जाते तो, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 जून 2006

क्रमांक 596/475/2006/1-8/स्था.—श्री विनोद गुप्ता, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 5-6-2006, से 16-6-2006 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 जून 2006

क्रमांक 598/335/2006/1-8/स्था.—श्री व्ही. के. राय, तत्कालीन अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 15-5-2006 से 27-5-2006 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राय को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री राय अवकाश पर नहीं जाते तो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 जून 2006

क्रमांक 600/533/2006/1-8/स्था.—श्री आर. जे. साहू, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग को दिनांक 12-6-2006 से 24-6-2006 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री साहू को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री साहू अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 जून 2006

क्रमांक 602/524/2006/1-8/स्था.—श्री एन. एन. एक्का, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 31-5-2006 से 9-6-2006 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एक्का को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एक्का अवकाश पर नहीं जाते तो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 24 जून 2006

क्रमांक 9523/डी-1537/21-ब/छ. ग./06.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श उपरांत महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में पदस्थ निम्नलिखित सारणी के क्रमांक (2) में वर्णित विधि अधिकारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है :—

क्रमांक (1)	विधि पदाधिकारी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री प्रमोद वर्मा	अतिरिक्त महाधिवक्ता
2.	श्री प्रशांत मिश्रा	अतिरिक्त महाधिवक्ता
3.	श्री नवल किशोर अग्रवाल	उप-महाधिवक्ता
4.	श्री व्ही. व्ही. एस. मूर्ति	उप-महाधिवक्ता
5.	श्री जी. के. बेरीवाल	उप-महाधिवक्ता
6.	श्री अरुण साव	शासकीय अधिवक्ता
7.	श्री यू. एन. एस. देव	शासकीय अधिवक्ता
8.	श्री आशीष शुक्ला	शासकीय अधिवक्ता
9.	श्री संजय एस. अग्रवाल	शासकीय अधिवक्ता
10.	श्री वाय. एस. ठाकुर	शासकीय अधिवक्ता

Raipur, the 24th June 2006

F. No. 9523/D-1537/XXI-B/C.G./06.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government in consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint the following Law Officers of Advocate General Office, Bilaspur specified in column No. (2) as Additional Public Prosecutors for the High Court of Chhattisgarh :—

S. No. (1)	Name of the Law Officers (2)	Designation (3)
1.	Shri Pramod Verma	Additional Advocate General
2.	Shri Prashant Mishra	Additional Advocate General
3.	Shri Naval Kishor Agrawal	Deputy Advocate General
4.	Shri V. V. S. Moorthy	Deputy Advocate General
5.	Shri G. K. Beriwal	Deputy Advocate General
6.	Shri Arun Sao	Government Advocate
7.	Shri U. N. S. Deo	Government Advocate
8.	Shri Aashish Shukla	Government Advocate
9.	Shri Sanjay S. Agrawal	Government Advocate
10.	Shri Y. S. Thakur	Government Advocate

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जून 2006

क्रमांक /4612/25-2/आजाकवि/2006.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर हेतु पद संरचना स्वीकृत करते हुए निम्नानुसार कुल 12 पदों की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या	रिमार्क
1.	सचिव	8000-13500	01	प्रतिनियुक्ति
2.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	8000-13500	01	प्रतिनियुक्ति
3.	निज सचिव	6500-10500	01	प्रतिनियुक्ति
4.	निज सहायक	5500-9000	02	प्रतिनियुक्ति
5.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
6.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	02	प्रतिनियुक्ति/संविदा
7.	भृत्य	कलेक्टर दर पर	04	---
		योग	12	

2. उपरोक्त पदों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :

(1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.
(2) स्वीकृत पद स्थायी हैं, जब तक कि कोई अन्यथा उल्लेख न हो.
(3) पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त न कर ली जाए.
(4) स्वीकृति ज्ञापन में दर्शाये गए वेतनमान सही है और तत्स्थानी वेतन अनुसूची के अनुरूप हैं.

3. उक्त व्यय मांग संख्या-66-मुख्य शीर्ष-2225-अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षण-0101-राज्य आयोजना (6749) राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मद अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यु. ओ. क्रमांक-355/6187/बजट-3/चार/2006, दिनांक 9-6-06 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. ठाकुर, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मई 2006

क्रमांक एफ 1/1/दो-गृह/2006.—श्री के. पी. एस. गिल, भारतीय पुलिस सेवा (सेवानिवृत्त) को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-2/2006/1/एक, दिनांक 12-4-2006 द्वारा एक वर्ष के लिये नक्सल विरोधी अभियान हेतु राज्य शासन का सलाहकार नियुक्त किया गया है.

श्री गिल की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत होगी. उनको मानदेय एवं अन्य सुविधाओं पर होने वाला व्यय गृह (पुलिस) विभाग के बजट से किया जावेगा.

श्री गिल की सेवा शर्तें निम्नानुसार होगी :—

1. नियुक्ति की अवधि कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 1 वर्ष के लिये होगा.
2. नियुक्ति की अवधि में रु. 50,000/- मासिक मानदेय देय होगा.
3. श्री गिल को भारत शासन द्वारा Z+ सुरक्षा दी गई है, उक्त सुरक्षा राज्य शासन द्वारा दी जावेगी.
4. नियुक्ति की अवधि में नि:शुल्क शासकीय आवासगृह की पात्रता होगी.
5. श्री गिल को मुख्य सचिव के समकक्ष शासकीय कार्य सम्पादन हेतु अमला व सुविधा उपलब्ध कराया जावेगा.
6. नियुक्ति अवधि में केन्द्र शासन द्वारा अखिल भारतीय सेवा के लिये निर्धारित यात्रा भत्ता की सुविधा होगी.
7. चिकित्सा सुविधा राज्य शासन के नियम के अनुरूप देय होगी.
8. पुलिस महानिदेशक के अनुरूप निवास एवं कार्यालय हेतु निर्धारित दूरभाष सुविधा प्रदान की जावेगी.
9. यह नियुक्ति दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. दिव्य, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ट)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2006

क्रमांक एफ-9-20/दो/गृह/06.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22-2-2006 को प्रश्नपत्र "स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (विना पुस्तकों के)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती कुसुम कान्ता एक्का	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.	निम्नस्तर
2.	श्रीमती यज्ञसेनी साहू	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.	निम्नस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष अत्रे, सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2006

विषय :- कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कोरवा पूर्व में 500 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत गृह के लिये "अधिभोगी" की नियुक्ति बावत.

क्रमांक 1389/13/ऊ.वि./अधिभोगी अधि./2006.—कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 (एन) के परन्तुक खण्ड (iii) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, परियोजना प्रबंधक, कोरवा पूर्व ताप विद्युत परियोजना, छ. रा. विद्युत मण्डल, को कोरवा पूर्व में निर्माणाधीन 500 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत परियोजना, के लिये "अधिभोगी अधिकारी" घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2006

क्रमांक-1273/23/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-654/23/32/2006 दिनांक 20-3-2006 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी:

विकास योजना रायपुर (उपांतरित) 2011 के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	डूण्डा	170/1	0.529 हे.	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)
		172/2	0.374 हे.		
		171/6	0.202 हे.		
		172/1	0.375 हे.		
		173/3	0.097 हे.		
		173/4	0.146 हे.		
		173/5	0.138 हे.		
		173/6	0.155 हे.		
		173/8	0.190 हे.		
		173/9	0.631 हे.		
		173/10	0.202 हे.		
		171/7	0.073 हे.		
		योग	**3.112 हे.**		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जून 2006

क्रमांक 1889/आरपी. [illegible]02/खसावि.—जिला रायगढ़ एवं जशपुर के अंतर्गत डायमण्ड एण्ड एसोसिएटेड मिनरल्स के अन्वेषण हेतु 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये मेसर्स एसोसी रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 30-12-2002 को स्वीकृत रिकॉनिसन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 28-2-2003 को हुआ था.

2. कम्पनी द्वारा अनुबंध निष्पादन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, एम. सी. आर. 1960 के नियम 7 (1) (i) के तहत कंपनी के पक्ष में रिकॉनिसन्स परमिट हेतु स्वीकृत 800 वर्ग किलोमीटर का संपूर्ण क्षेत्र खाली हो गया है.

3. खाली हुए क्षेत्र के अक्षांश-देशांश अनुसूची-एक में उल्लिखित है.

अनुसूची-एक

(टोपोशीट क्र. 64 N का भाग)

S. No.	Point	Longitudes	Latitudes	S. No.	Point	Longitudes	Latitudes
1.	A	83° 10' 00"	22° 38' 00"	3.	C	83° 30' 00"	22° 25' 00"
2.	B	83° 30' 00"	22° 38' 00"	4.	D	83° 10' 00"	22° 25' 00"

4. अनुसूची-एक में उल्लिखित क्षेत्र को खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत रिकॉनिसन्स परमिट स्वीकृति हेतु खुला घोषित किया जाता है.

5 उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् रिकॉनिसन्स परमिट के पुन: अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

[illegible]

रायपुर, दिनांक 28 जून 2006

क्रमांक/एफ-2-16-02/एम.—जिला महासमुंद के अंतर्गत डायमण्ड एण्ड एसोसिएटेड मिनरल्स के अन्वेषण हेतु 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के [illegible] मेसर्स एसोसी रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 23-09-2002 को स्वीकृत रिकॉनिसन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 23-11-2002 को हुआ था.

2. कम्पनी द्वारा अनुबंध निष्पादन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, एम. सी. आर. 1960 के नियम 7 (1) (i) के तहत कंपनी के पक्ष में रिकॉनिसन्स परमिट हेतु स्वीकृत 3000 वर्ग किलोमीटर का संपूर्ण क्षेत्र खाली हो गया है.

3. खाली हुए क्षेत्र के अक्षांश-देशांश अनुसूची-एक में उल्लिखित है.

अनुसूची-एक

(टोपोशीट क्र. 64 G, H, K एवं L का भाग)

S. No.	Point	Longitudes	Latitudes	S. No.	Point	Longitudes	Latitudes
1.	A	82° 37' 52"	21° 16' 22"	4.	D	82° 20' 53"	20° 52' 39"
2.	B	82° 05' 50"	21° 16' 22"	5.	E	82° 44' 11"	21° 09' 54"
3.	C	81° 53' 00"	20° 52' 39"	E से A तक राज्य की सीमा के साथ			

4. अनुसूची-एक में उल्लिखित क्षेत्र को खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत रिकॉनेसन्स परमिट स्वीकृति हेतु खुला घोषित किया जाता है.

5. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् रिकॉनेसन्स परमिट के पुनः अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2006

क्रमांक 1893/आर नं. 2229/04/12.—जिला रायगढ़, जांजगीर एवं महासमुंद के अंतर्गत डायमण्ड एण्ड एसोसिएटेड मिनरल्स के अन्वेषण हेतु 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये मेसर्स एसीसी रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 30-12-2002 को स्वीकृत रिकॉनेसन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 28-2-2003 को हुआ था.

2. कम्पनी द्वारा अनुबंध निष्पादन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, एम. सी. आर. 1960 के नियम 7 (1) (i) के तहत कंपनी के पक्ष में रिकॉनेसन्स परमिट हेतु स्वीकृत 800 वर्ग किलोमीटर का संपूर्ण क्षेत्र खाली हो गया है.

3. खाली हुए क्षेत्र के अक्षांश-देशांश अनुसूची-एक में उल्लिखित है.

अनुसूची-एक

(टोपोशीट क्र. 64 K एवं O का भाग)

S. No.	Point	Longitudes	Latitudes	S. No.	Point	Longitudes	Latitudes
1.	A	82° 59' 25"	21° 32' 26"	3.	C	83° 06' 40"	21° 06' 36"
2.	B	83° 17' 00"	21° 17' 20"	4.	D	82° 59' 25"	21° 15' 00"
D से A तक राज्य की सीमा के साथ							

4. अनुसूची-एक में उल्लिखित क्षेत्र को खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत रिकॉनेसन्स परमिट स्वीकृति हेतु खुला घोषित किया जाता है.

5. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् रिकॉनेसन्स परमिट के पुनः अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 5 मई 2006

प्रकरण क्रमांक 1 अ-82-05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	भरेवापूरन प. ह. नं. 24	1.727	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला - बिलासपुर.	हाफ शाखा नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 5 मई 2006

प्रकरण क्रमांक 2 अ-82-05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	कंवलपुर प. ह. नं. 24	4.031	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला - बिलासपुर.	हाफ शाखा नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 5 मई 2006

प्रकरण क्रमांक 3 अ-82-05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	खैरातुलसी प. ह. नं. 24	2.095	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला - बिलासपुर.	हाफ शाखा नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 5 मई 2006

प्रकरण क्रमांक 8 अ-82-05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	बिझौरी प. ह. नं. 6	0.745	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला - बिलासपुर.	अपर आगर व्यपवर्तन के मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 5 मई 2006

प्रकरण क्रमांक 9 अ-82-05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	दुल्लापुर प. ह. नं. 6	7.126	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला - बिलासपुर.	अपर आगर व्यपवर्तन के मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 5 मई 2006

प्रकरण क्रमांक 10 अ-82-05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	गौरकापा प. ह. नं. 6	4.646	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला - बिलासपुर.	अपर आगर व्यपवर्तन के मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 12 जून 2006

रा. प्र. क्र./01/ अ-82/95-96.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	मणीपुर	0.684	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	बांकी जलाशय योजना के अम्बिकापुर विस्तार उपनहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मई 2006

क्रमांक/147/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	पोरथा प.ह.नं. 10	0.421	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	डोंगिया सब माइनर नहर (मूल)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मई 2006

क्रमांक 1 भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	कचंदा प.ह.नं. 12	0.111	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 3, सक्ती.	कचंदा वितरक 6 एल. माइनर (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मई 2006

क्रमांक 149/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है किराज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	कचंदा प.ह.नं. 12	0.073	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 3, सक्ती.	कचंदा माइनर 5 एल. नहर (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक 160/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बोड़सरा प.ह.नं. 03	0.104	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 3, सक्ती.	कचंदा उप-वितरक नहर (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 12 जून 2006

क्रमांक 3875/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	पहाड़-हसवाही	0.07	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ. ग.)	गुड़रू व्यपवर्तन योजना के माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 जून 2006

क्रमांक 6/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	खैरा	0.773	का. यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिगुआ जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 13 जून 2006

क्रमांक 404/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा [illegible] आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	राजपुर	4.37	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	राजपुर जलाशय के नहर नाली हेतु.

भू[illegible] का नक्शा (प्लान) अनु[illegible]भागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 जून 2006

क्रमांक 677/प्र. 1/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	सिब्दी	0.113	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग दुर्ग.	खरखरा मोंहदीपाट पैंकट-2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 मई 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 1 अ/82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ाटापारा	मोपका प. ह. नं. 12	0.223	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	भरतपुर जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 2 अ/82/05-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	केसला प. ह. नं. 18	0.511	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	केसला एनीकट के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक 4429/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-गभरा, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.61 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
193	3.00
194/1	0.55
194/2	0.62
194/3	1.70
194/4	0.42
194/5	0.28
194/6	0.58
194/7	0.31
194/8	0.65
194/9	0.30
195	0.80
241/1	1.40
योग	10.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भेड़रा जलाशय के अंतर्गत बांध पार एवं डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक 4430/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-गायमुख, प.ह.नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-21.13 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
73	0.30
74	2.40
75	3.13
76/1	1.38
77	4.18
78/1	3.15
79	2.21
80	3.38
84	1.00
योग	21.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भेड़रा जलाशय के अंतर्गत बांध पार एवं डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक 4431/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-झूरानदी, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-88.17 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2	3.36
3/2	0.37
3/3	0.08
3/5	0.30
3/6	0.51
3/7	0.94
3/8	0.48
3/9	0.73
3/10	0.49
5	4.07
6	0.32
7	0.32
8	0.35
9	0.20
10	0.15
11/1	0.05
11/2	0.05
11/3	0.05
12	0.15
13/1	0.66
13/2	0.99
14/1	0.30
14/2	0.94
14/3	0.50
15	0.05
16	0.10
18	0.49
19	0.38
21	0.63
22/1	0.10
22/2	0.19
22/3	0.25
22/4	0.03
23/1	0.22

(1)	(2)
23/2	0.22
23/3	0.22
24	0.66
25	0.10
26	0.10
27	0.14
28/1	0.37
28/2	0.52
28/3	0.30
28/4	0.37
29	0.21
30	0.21
31	0.62
32/1	0.28
32/2	0.37
32/3	0.26
32/4	0.18
33	0.35
34	0.35
35	0.84
36	0.83
38	0.39
39	0.79
40	0.40
41/1	1.00
41/2	0.50
41/3	0.50
42	0.40
43	3.96
44/1	0.21
44/2	0.21
45	0.30
46	0.30
47/1	0.23
47/2	0.22
47/3	0.30
47/4	0.30
48	2.10
49	0.75
50/1	0.75
50/2	0.78
50/3	0.51
50/4	0.85
50/5	0.38
50/6	0.87
50/7	0.12
50/8	0.15
50/9	0.17
50/10	0.10
50/11	0.07
50/12	0.60
50/23	1.50
50/24	0.03
50/25	0.25
50/26	0.28
50/27	0.22
50/28	0.05
50/29	0.32
50/30	0.03
50/31	0.43
50/32	0.08
50/33	0.05
50/34	0.30
50/35	0.03
50/38	0.37
50/39	0.40
50/40	0.10
50/41	0.10
50/42	0.13
50/43	0.04
50/44	1.03
91/1	0.25
91/2	0.12
91/3	0.13
52	1.10
53/4	0.35
53/5	0.35
53/6	0.05
54	0.70
55	0.80
58	1.20
59/3	0.40
59/4	0.15
59/5	0.05
60	1.00
62/2	0.45

(1)	(2)
62/3	0.68
62/4	0.83
62/5	0.62
62/6	0.39
62/7	0.43
62/8	1.70
63/1	0.58
63/2	0.80
65	0.38
66	1.00
69	7.07
70	0.33
71	0.32
72	0.65
73	1.00
74	2.00
76	2.01
78/1	0.20
78/2	0.90
78/3	0.91
79/1	0.60
79/2	0.38
79/3	0.33
79/4	0.44
79/5	0.56
80/1	1.20
80/2	3.61
योग	88.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भेड़रा जलाशय के अंतर्गत बांध पार एवं डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू- अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक 4432/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-राजनांदगांव
   (ख) तहसील-छुईखदान
   (ग) नगर/ग्राम-भेड़रा, प.ह.नं. 19
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-44.48 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
35	0.62
38/6	0.12
39	0.74
40	0.20
42	0.32
65	0.15
71	0.40
72	1.00
73/1	0.70
73/2	0.70
81/1	0.16
81/2	0.17
81/3	0.17
81/4	0.17
82	0.68
83	0.46
84	0.42
103	1.03
106	15.58
108/1	0.01
108/2	4.80
108/3	5.68
108/4	2.39
108/5	0.61
108/6	0.50
108/7	2.25
108/8	4.45
योग	44.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - भेड़रा जलाशय के अंतर्गत बांध पार एवं डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक 4433/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-झूरानदी, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-32.06 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
81/1	0.28
81/2	0.53
81/3	0.28
81/4	0.28
81/5	0.28
82/1	0.60
82/2	0.60
83	0.54
84	0.27
85	0.27
86/1	0.26
86/2	0.27
87/1	0.30
87/2	0.30
87/3	0.36
87/4	0.64
88	1.90
89/2	0.32
89/3	0.05
89/5	0.05
109/1	0.20
109/5	0.20
109/6	0.35
109/7	0.15
109	0.30
110	0.90
111	3.15
112	0.16
113	0.16
114/1	0.10
114/2	0.13
115	0.21
116/1	0.29
116/2	0.08
117	0.55
118/1	0.08
118/2	0.10
118/3	0.07
119	0.12
120	0.13
121	0.35
122	0.25
123/1	0.20
123/2	0.07
124	0.11
125	0.03
126	0.06
127	0.14
128	0.82
129/1	0.13
129/2	0.14
129/3	0.14
129/4	0.13
130/1	0.09
130/2	0.07
130/3	0.24
131	0.25
132	0.30
133/1	0.30
133/2	0.30
134	0.40
167	0.30
168/1	0.20
168/2	0.20
268/2	0.34
269	0.15
270	0.15

(1)	(2)
171/1	0.15
272	0.30
273	0.15
274	0.85
275	0.55
276	0.50
277/1	0.17
277/2	0.18
277/3	0.17
277/4	0.18
279	0.90
281/1 क	1.25
281/1 ख	2.86
281/2	0.96
281/3	0.77
281/4	0.25
281/5	0.14
281/6	0.06
योग	32.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भेड़रा जलाशय के अंतर्गत बांध पार एवं डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण -भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक 153/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सपिया, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
398/1	0.020
400	0.020
योग 2	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक 154/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बेल्हाभांठा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1, 1/4	0.085

(1)	(2)
39/2	0.020
योग 2	0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कनाईडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक 155/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-उच्चपिण्डा, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.174 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
261	0.081
160	0.073
161	0.020
योग 3	0.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केनापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक 156/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छपोरा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.131 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
16/4	0.004
19/1	0.032
20/2	0.012
1046	0.060
1047/4, 6	0.016
1047/1	0.016
16/1	0.008
53/4	0.032
52/1	0.040
51/1	0.032
1248/1	0.040
1055/1	0.012
1286	0.016
1413/11	0.004
1287/2	0.056
1279/2	0.016
1413/2	0.032
1240/4	0.012
1240/5	0.012
1248/2	0.024
1041	0.056
1240/3	0.036
1413/3	0.016

(1)	(2)
1219	0.020
942/1	0.032
943/1	0.086
943/6	0.040
917/1	0.045
918/1	0.049
918/2	0.049
944/8	0.049
26/2	0.020
943/11	0.069
45/1	0.008
955/8	0.036
940/2	0.024
1042/2	0.020
योग	1.131

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छपोरा मा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक 157/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-जोंगरा, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.615 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
340/9	0.040
341/2	0.024
342	0.101
364/2, 4	0.121
166/3	0.065
366/6	0.134
414/6	0.045
414/7	0.085
योग 8	0.615

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरवानी वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक 158/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-अचानकपुर, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
222/5	0.105
योग 1	0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अचानकपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक 159/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-बैलाचुवा, प. ह. नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.522 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकवा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
103/1	0.154
102	0.085
134/2	0.134
98/1	0.117
97/1	0.032
योग	0.522

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवागांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 जून 2006

क्रमांक 161/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-पासीद, प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.117 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
656/2	0.085
638/2	0.032
योग 2	0.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पासीद माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 24 मई 2006

रा. प्र. क्र./12/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-बरगंवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.428 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
849/1	0.032
929/2	0.137
449/2	0.032
1099	0.012
452/1	0.040
783/1	0.065
783/2	0.065
929/1	0.045
योग	0.428

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बरनई परियोजना के वरगंवा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 मई 2006

रा. प्र. क्र./16/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-नवडीहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.500 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
61	0.101
102/2	0.052
118	0.163
71	0.081
102/3	0.072
119/1	0.077
78/1	0.096
102/4	0.097
119/2	0.067
78/2	0.043
102/5	0.115
102/1	0.081
87	0.077
102/7	0.369
88	0.101
128	0.163
योग	1.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गगोली उद्वहन के नवडीहा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 मई 2006

रा. प्र. क्र./06/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोनबरसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-21.346 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
544	0.607
520	0.271
545	0.312
516	0.344
543	0.364
537	0.405
524	0.720
270/2	0.817
12/3	0.142
561	0.405
538	0.101
526	0.405
250/5	0.707
519	0.505
550	0.101
527	0.101
258	0.745
552	0.525
148/9	0.507
512	1.457
522	0.598
535	0.444
148/19	0.303
256	0.777
559	0.161
261	0.707
541	0.745
515	0.525
539	1.072
536	0.202
148/8	0.607
517	0.214
170/504/1	0.141
179	0.162
525	0.016
540	0.485
82/2	0.607
547	0.202
546	0.202
117	0.606
557	0.405
113	0.304
518	0.362
565	0.101
521	0.405
567	0.202
260/1	0.061
542	0.251
172/73	0.474
564	0.464
योग	21.346

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 मई 2006

रा. प्र. क्र./07/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बकनाखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.287 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
128/1	0.485
449	0.316
123/3	0.020
434/1	0.177
450	0.144

(1)	(2)
447/2	0.083
435	0.162
125	0.136
448/1	0.020
441/1	0.361
126	0.169
448/2	0.061
122/4	0.024
123/1	0.045
127/2	0.041
122/2	0.024
123/2	0.020
योग	2.287

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चकना जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 मई 2006

रा. प्र. क्र./13/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-करेया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.713 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
136/31	0.266
99/3	0.101
761/3	0.103
761/32	0.587
136/41	0.202
214/29	0.049
779/7	0.080
761/9	0.291
707/28	0.202
15/3	0.089
92/1	0.019
214/40	0.162
23/1	0.202
214/8	0.061
136/29	0.267
136/35	0.202
103/3	0.113
779/3	0.189
22/1	0.040
175/1	0.004
136/34	0.323
23/2	0.069
214/15	0.101
707/18	0.202
707/25	0.202
778/4	0.202
779/1	0.056
20/1	0.054
707/26	0.324
707/24	0.202
24	0.045
97/2	0.040
7/2	0.218
758	0.360
761/33	0.202
3/2	0.364
218/7	0.668
756/2	0.235
25	0.057
707/37	0.202
9/2	0.084
707/32	0.202
707/20	0.607
93	0.025

(1)	(2)
707/12	0.425
760	0.176
136/39	0.302
136/37	0.243
779/2	0.085
761/6	0.070
761/30	0.403
योग	8.713

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 मई 2006

रा. प्र. क्र./15/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-कुबेरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.484 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
471/5	0.242
536/2	0.242
योग	0.484

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 मई 2006

रा. प्र. क्र./16/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-लवईडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.201 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
591/11	0.966
596/6	0.235
योग	1.201

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 मई 2006

रा. प्र. क्र./14/अ-82/99-00.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-गेतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.221 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
847/1	0.105
847/5	0.105
847/2	0.125
849	0.395
847/6	0.134
860	0.388
847/3	0.210
861	0.255
847/4	0.235
862	0.267
योग	2.221

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रेहर गायत्री परियोजना के सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 मई 2006

रा. प्र. क्र./48/अ-82/89-90.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-नौगई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.542 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
173	0.053
189	0.017
181/1	0.069
231/5	0.053
185	0.042
231/6	0.008
180/1	0.028
172	0.177
180/2	0.029
184	0.034
190	0.032
योग	0.542

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बरनई परियोजना के करेया वितरक माइनर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 मई 2006

रा. प्र. क्र./01/अ-82/00-01.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-केशगंवां एवं खोडरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.809+0.374=1.183 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम - केशगंवां	
198	0.041

(1)	(2)
715/1	0.048
672	0.016
207	0.089
707	0.101
703	0.089
213/1	0.073
205	0.021
200/1	0.048
716	0.057
201/1	0.073
699	0.048
196	0.024
701	0.012
212/1	0.045
702	0.024
योग	0.809

ग्राम-खोडरी

447/1	0.040
439/1	0.036
450	0.081
452	0.048
441/5	0.004
439/3	0.048
433	0.036
441/1	0.081
योग	0.374
कुल योग	1.183

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खोडरी जलाशय योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 मई 2006

रा. प्र. क्र./06/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सुखरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
779/1	0.020
योग	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घुनघुट्टा परियोजना के सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 मई 2006

रा. प्र. क्र./31/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-नावापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.038 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
470	0.038
योग	0.038

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नावापारा नहर के माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 मई 2006

रा. प्र. क्र./36/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सुखरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
713/2	0.020
योग	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बरनई परियोजना के बायां तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 मई 2006

रा. प्र. क्र./22/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान [illegible] की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-छिन्दकालो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.392 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1201	0.210
1202	0.004
1203	0.101
1185	0.061
1204	0.004
1190	0.012
योग	0.392

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छिन्दकालो सब माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 मई 2006

रा. प्र. क्र./27/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-लोसंगा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.720 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
305	0.547
303/1	0.076
330	0.186
314/7	0.243
329	0.214
307	0.214
320/15	0.454
309	0.210
338	0.142
320/16	0.526
310	0.089
308	0.235
320/391	0.405
311	0.380
312	0.214
328	0.242
306	0.239
313/1	0.295
356	0.150
320/14	0.849
313/2	0.405
320/390	0.405
योग	6.720

(2) सार्वजनिक प्रयाजन जिसके लिये आवश्यकता है-लोसंगा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 मई 2006

रा. प्र. क्र./02/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-दरिमा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
936/3	0.121
योग	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बरनई परियोजना के कोटेया माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 मई 2006

रा. प्र. क्र./03/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-नौगई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.235 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
233/1	0.040
233/4	0.045
253/3	0.060
253/5	0.045
233/5	0.045
योग	0.235

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बरनई परियोजना के लिबरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 मई 2006

रा. प्र. क्र./04/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सकालो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.55 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1317	0.08
1306	0.03
1266	0.02
1265	0.02
1285	0.04
921	0.02
1313	0.01
1304	0.02
[illegible]	0.03
1464	0.17
1268	0.05
1332	0.04
1303	0.03
1340	0.11
1269	0.08
1355	0.06
1316	0.06
1326	0.04
1341	0.02
1353	0.03
1356	0.03
1334	0.03
1327	0.05
946	0.02
1282	0.04
1267	0.02
1315	0.04
1330	0.03
1352	0.03
1332	0.02
1357	0.02
1331	0.08
1333	0.05
1264/5	0.01
1283	0.08
1284	0.04
योग	1.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सकालो जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 मई 2006

रा. प्र. क्र./05/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोहनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.726 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
304/23	0.234
505	0.036
182/32	0.149
304/24	0.146
185/23	0.179
404	0.065
304/25	0.041
185/8/1	0.160
405	0.225
304/17	0.061
185/82	0.096
416	0.025
185/8/1	0.171
369	0.069
413	0.093
185/4/3	0.045
370/17	0.458
503	0.202
185	0.024
370/19	0.198
406/1	0.049
योग	2.726

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहनपुर जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 मई 2006

रा. प्र. क्र./08/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुबेरपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.983 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
530/13	0.223
530/16	0.505
530/19	0.607
825/7	0.243
530/18	0.405
योग	1.983

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घुनघुट्टा परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 मई 2006

रा. प्र. क्र./09/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-राजपुर

(ग) नगर/ग्राम-आरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.201 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
171/23	0.081
602/1	0.172
237/1	0.036
171/17	0.052
75	0.069
597	0.140
192/1	0.065
396/2	0.024
42/11	0.129
396/925	0.081
192/2	0.222
396/3	0.101
76	0.057
52	0.073
879/11	0.016
235	0.008
931/8	0.040
253/1	0.073
398	0.121
84	0.108
253/2	0.076
21/1	0.225
236/1	0.056
237/2	0.032
योग	2.201

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गागर परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 मई 2006

रा. प्र. क्र./18/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अम्बिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-कोटेया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.911 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2046/2	0.162
900/4	0.016
2142/1	0.068
891	0.121
1000	0.045
2077/2	0.056
897	0.021
2079/2	0.101
1868	0.056
999	0.130
850/2	0.041
900/3	0.015
902	0.021
1860	0.117
1925	0.081
888	0.081
900/1	0.015
903	0.021
1861	0.053
1926	0.032
1093	0.016
2077/1	0.065
2078	0.101

(1)	(2)
1918/2	0.130
1927	0.065
1216	0.048
855	0.008
844	0.044
2142/2	0.061
1928	0.024
1004	0.081
900/2	0.015
योग	1.911

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-श्याम-घुनघुट्टा परियोजना के बायां तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 मई 2006

रा. प्र. क्र./19/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ा दमाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.860 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/9	0.331
1/8	0.028
1/10	0.016
1/11	0.323
1/5	0.162
योग	0.860

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-श्याम-घुनघुट्टा परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 जून 2006

रा. प्र. क्र./01/अ-82/95-96.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-मणीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.684 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
373	0.008
379	0.016
385	0.012
429	0.036
417	0.012
425	0.008
414/505	0.016
384	0.008
380	0.061

(1)	(2)
388	0.004
402/1	0.012
418	0.016
426	0.008
414/506	0.012
389	0.004
381	0.016
391	0.004
402/2	0.008
419	0.016
427	0.008
374	0.004
382	0.020
392/1	0.032
403	0.053
422	0.016
428	0.024
386	0.012
383	0.012
392/2	0.008
410	0.012
423/1	0.016
430	0.036
377	0.012
390	0.004
394	0.049
414	0.057
424	0.008
431	0.024
योग	0.684

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बांकी जलाशय योजना के अंबिकापुर विस्तार हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE, HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 20th June 2006

No. 1561/A R./SEC./HCLSC/06.—In exercise of the powers conferred by Sub Regulation 3 of Regulation 5 and Regulation 6 of the Chhattisgarh State Legal Services Authority Regulation 2003, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, has been pleased to nominate and renominate the Members of the High Court Legal Services Committee, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, in the following manner.

1.	Shri Chandrashekhar Bajpayee, Advocate, Bilaspur.	Member (Nominated) by Hon'ble the Chief Justice
2.	Smt. Fouzia Mirza, Advocate, Bilaspur.	Member (Re-nominated) by Hon'ble the Chief Justice

By order of Hon'ble the Chief Justice,
A. L. JOSHI, Addl. Registrar/Secretary.

निर्वाचन आयोग भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2005.

क्रमांक निर्वा. याचिका/2005/1695.— भारत निर्वाचन आयोग नई-दिल्ली की अर्जी संख्या 43/99 दिनांक 27-10-2005 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अधीन जारी की गई तारीख 26-10-2005 की अधिसूचना संख्या 82/म.प्र./ लो. स./43/99 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिएं प्रकाशित की जाती है.

निधि छिब्बर,
संयुक्त मुख्य निर्वाचन
पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 26 अक्टूबर, 2005—4 कार्तिक, 1927 (शक)

अधिसूचना

संख्या 82/छ.ग.-लो.स./(43/99)/2005.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग वर्ष 1999 की निर्वाचन अर्जी संख्या 43 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के तारीख 4-8-05 के आदेश को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है.

आदेश से,
हस्ता./-
(एस. के. कौरा)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated 26th October, 2005—4 Kartika, 1927 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82/CG-HP/43/99/05.—In pursuance of Section 106 of Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission hereby publishes the Judgment/order of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur dated 4-8-05 in Election Petition No. 43/99.

By order,
Sd/-
(S. K. KAURA)
Secretary.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT BILASPUR, CHHATTISGARH
Election Patition No. 43 of 1999

Dr. Banshilal Mahto
Versus
Charan Das Mahant

Present :-
Mr. Ranbir Singh Marhas, Advocate: For the petitioner

Mr. Ravindra Shrivastava, Senior Advocate with
Mr. V. C. Ottalwar, Mr. Sanjay K. Agrawal and
Mr. Rajeev Shrivastava, Advocates For the respondent

ORDER

Passed on 4th August 2005

L. C. BHADOO, J.

1. By this election petition, the petitioner has called in question the election of the respondent as Member of Parliament (Lok Sabha) from Parilamenary Constituency No. 14- Janjgir of the erstwhile-unified State of Madhya Pradesh, which was held on 18-9-1999, the result of which was declared on 7-10-1999.

2. Brief facts necessary for disposal of this election petition are that the Election Commission of India issued notification dated 21st August 1999, calling upon the voters of Parliamentary Constituency No. 14-Janjgir for electing Member of Parliament (Lok Sabha) by issuing the following election programme :-

a.	Filing of nominations	From 21-8-1999 to 28-8-1999
b.	Date of scrutiny	30-8-1999
c.	Date of withdrawal	1-9-1999
d.	Allotment of symbol	1-9-1999
e.	Last date and time fixed for election campaign	16-9-1999
f.	Date of polling	18-9-1999
g.	Date of counting	6-10-1999
h.	Date of declaration of result.	7-10-1999

3. As per the above programme, elections were held on 18-9-1999 counting of votes took place on 6-10-1999, the Returing Officer declared the result of elections on 7-10-1999, wherein the petitioner herein obtained 2,78,931 votes in his favour, whereas, the returned candidate, the respondent herein, obtained 2, 64, 248 votes and was declared elected by a margin of 14,683 votes.

4. The petitioner herein has questioned the election of the respondent on the ground of corrupt practice as envisaged under Sections 100 (1) (d) (iv) & 101 (b) read with Sections 123 (1) (A) (b), 123 (6) & 123 (7) of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as 'the Act of 1951'), mainly on the following grounds :-

   a. that, the respondent in utter violation of the directions issued by the Election Commission of India vide order dated 2-9-1994 got printed and published material without the mention of name of printers publishers and total number of copies printed;

   b. that, the respondent in violation of the directions issued by the Election Commission of India vide order dated 5-1-1994 affixed his posters on electric transformers and hanged flags on Government poles;

c. that, in violation of the directions issued by the Election Commission of India vide order dated 15-1-1996 the then Chief Minister of Madhya Pradesh Mr. Digvijay Singh misused the Government helicopter and brought the respondent from Sakti to Katghora on the said helicopter;

d. that, the then Chief Minister of Madhya Pradesh addressed a public meeting on 17-9-1999 at 10 a.m. at Sakti in favour of the respondent i. e. after closing of the election campaign;

e. that, the respondent incurred expenses more than what was prescribed under sub-section (3) of Section 77 of the Act of 1951, i. e. the respondent got published advertisements in the newspapers, and campaign materials, beyond the prescribed limit of Rs. 15 lakhs;

f. that, the respondent distributed articles like match boxes, cigarette lighters, Gudaku, raincoats, umbrellas, packets of bidi, audio cassettes, plastic bags, scooter stepney covers, ball pens etc. all containing his name and election symbol "Hand" to influence the voters; and

g. that, on 2-9-1999 the Collectors of Janjgir & Champa distributed bonus of Tendu Patta to the forest labourers in presence of the respondent and the then Chief Minister of Madhya Pradesh.

5. Return has been filed on behalf of the respondent in which the respondent has denied all these allegations, apart from that he has raised preliminary objections regarding maintainability of the election petition on account of non-compliance of the provisions of section 81 (3) of the Act, as true attested copies of Annexures D-1 to D-36 annexed with the election petition were not supplied to him and also on account of non-compliance of the provisions of Section 83 (1) read with Rule 94-A of the Conduct of Elections Rules 1961 as the affidavit filed in support of the allegations of corrupt practice is not conformity with Form 25 and the provisions of law.

6. Based on the pleadings of parties, following issues were framed :-

(1) Whether the copy of the petition and annexures supplied to the Respondent are not in accordance with Sec. 81 (3) of R. P. Act ? If yes-effect.

(2) Whether Annexure D/5 to D/11 were got printed by respondent in violation of Annexure-D/4 without mentioning the number of copies printed, and names of printers and publishers ?

(3) Whether in violation of Annexure-D/12, the respondent exhibited his posters and flags on poles and transformers ?

(4) Whether the C.M. of M. P. brought respondent from Sakti to Katghora in Govt. Helicopter and whether this amounts to corrupt practice ?

(5) Whether election campaign was to stop on 16-9-99 and whether Chief Minister of Madhya Pradesh addressed Election Meetings at Sakti on 17-9-99 and whether this amounts to corrupt practice and has adversely affected the election ?

(6) Whether the respondent, on his election campaign spent beyond permissible limit, if any, by giving advertisements in Annexures D/22 to D/31.

(7) (a) Whether the respondent distributed articles as mentioned in para 14 of the petition to influence the voters and;

(b) Whether it adversely affected the elections ?

(8) Whether Collector of Janjgir Champa to influence the voters distributed the bonus to forest labours in presence of the respondent and whether it has adversely affected the elections ?

(9) Relief and cost.

Issue No. 1 shall be treated as Preliminary issue.

(10) Whether the charges relating to the corrupt practice can be finally decided by this Court in view of the fact that an affidavit in support of the said charges was not filed alongwith the original petition and was filed on the records, at a later stage ?

7. In order to prove the allegations of corrupt practice and issues, the petitioner in support of his petition examined himself as PW-1, Rajendra Agrawal PW-2, Ramayan Singh Rathiya PW-3, Pawan Kumar PW-4, & Nanki Ram Kanwar PW-5, and closed his evidence. In rebuttal, to refute the allegations made by the petitioner, the respondent examined himself as DW-1 and one Prashant Mishra DW-2.

8. I have heard learned counsel for the parties.

9. It is made clear that I. A. No. 5353/2003 was moved on behalf of the respondent under Section 86 of the Act of 1951 read with Order 7 rule 11 of the Civil Procedure Code for dismissal of the election petition, and the same was disposed of vide order dated 20th January, 2004 that evidence has already commenced and the respondent has raised all these points in the written statement, therefore, the respondent is at liberty to raise these points at the time of final hearing.

DECISION ON ISSUE No. 1

10. As far this issue is concerned, learned Senior Counsel for the respondent submitted that the accompanied Annexures D-1 to D-36 which were supplied to the respondent along with copy of the petition were not attested by the petitioner under his own signature to be a true copy of the petition in terms of sub-section (3) of Section 81 of the Act. Therefore, this petition is liable to be dismissed.

11. On the other hand, learned counsel for the petitioner argued that the respondent has not been able to prove the fact that as to how the respondent was mislead and he was not able to file reply and put up his defence properly. Learned counsel further argued that the respondent has not been able to establish as to what was the variance between the annexures attached with the original petition and the annexures supplied to the respondent.

12. Having heard learned counsel for the parties, I have perused the record and the petition. In this connection settled law on the point as has been held by the Apex Court in the matter of T. M. Jacob vs. C. Poulose and others reported in (1999) 4 SCC 274, the Constitution Bench after relaying upon earlier Constitution Bench decisions in the matters of Murarka Raddey Shyam Ram Kumar vs. Roop Singh Rathore (AIR 1964 SC 1545) and Ch. Subbarao vs. Member, Election Tribunal Hyderabad (AIR 1964 SC 1027)

held that :

> "...... the test to determine whether a copy was a true one or not was to find out whether any variation from the original was calculated to mislead a reasonable person."

and further held that :

> "Copy does not mean an absolutely exact copy. It means a copy so true that nobody can by any possibility misunderstand it. The test whether the copy is a true one is whether any variation from the original is calculated to mislead an ordinary person."

in para 35 of the judgment it was held that :

> "The object of serving a "true copy" of an election petition and the affidavit filed in support of the allegations of corrupt practice on the respondent in the election petition is to enable the respondent to understand the charge against him so that he can effectively meet the same in the written statement and prepare his defence. The requirement is thus, of substance and not of form".

in para 36 of the judgment it was held that :

> "The expression copy" in Section 81 (3) of the Act means a copy which is substantially so and which does not contain any material or substantial variation of a vital nature as could possibly mislead a reasonable person to understand and meet the charges/allegations made against him in the election petition. Indeed a copy which defers in material particulars from the original cannot be treated as a true copy of the original within the meaning of Section 81 (3) of the Act and the vital defect cannot be permitted to be cured after the expiry of the period of limition."

The Court further held that :

> "It is only the violation of Section 81 of the Act which can attract the application of the doctrine of substantial compliance as expounded in Murarka Radhey Shyam and Ch. Subbarao cases. The defect of the type provided in Section 83 of the Act, on the other hand can be dealt with under the doctrine of curability, on the principals contained in the Code of Civil Procedure."

13. In the light of the above judgment, if we examine the present case, in return of the respondent it has been mentioned that the copies supplied along with all the annexures is submitted herewith, but to utter surprise the said copies are not available on record. Even, learned Senior Counsel for the respondent tried his level best to locate the copies, but the same are not available on record. In order to raise such objection and to show bona fide in raising such objection, learned counsel for the respondent was required to raise the objection at the earliest and submit copy of documents served upon the respondent before the Court immediately in order to ascertain veracity of the claim made by the respondent.

14 It has been mentioned in the return that notice was served on the respondent on 20-4-2000 and the return was submitted in the month of August, 2000, almost four months after the receipt of the notice and the copy of the petition. On 28-4-2000, counsel for the respondent appeared and sought for time to file some application. The matter was listed on 4-5-2000. On that day, counsel for the petitioner submitted that he received copy of I. A. No. 33/2000 on that day only and he prayed for ten days time to file reply. The said I. A. was filed for dismissal of the petition for noncompliance of Section 81 (3) of the Act of 1951. It was mentioned in the said application that Annexures D-1 to D-36 do not contain required attestation by the petitioner under his own signature, therefore, photocopies cannot be deemed to be true copies of the annexures filed along with the petition, and form part of the petition. The aforesaid non-comliance caused substantial prejudice to the respondent. It has nowhere been mentioned that copy of said annexures, which were served upon the respondent, are annexed with the application. Written statement was filed by the respondent in which again the same objection was raised and it was mentioned that copies of the annexures are filed herewith, but even those copies are not available on record. Even, counsel for the respondent was not able to show to the Court as to which copies were filed with the petition by the petitioner. On 11-7-2000, the Court observed that at this stage, the application (I. A. No. 33/2000) cannot be considered and the ground can be raised in the return.

15. Therefore, in the absence of copies, which were served upon the respondent, it cannot be considered that the copies of annexures were not supplied to the respondent in terms of sub-section (3) of Section 81 of the Act. In view of the above law on the point, unless the respondent in able to point out by showing the copies served upon him that there was substantial variance between the original annexures filed with the petition and served upon the respondent, the petition cannot be dismissed for non-compliance of sub-section (3) of Section 81 of the Act of 1951. The respondent has not been able to demonstrate that how the respondent's right has been prejudiced on account of the infirmity raised by him, and that how he has not been able to make his defence properly. Therefore, this issue is decided against the respondent, as he has not been able to substantiate what he has mentioned in the written statement.

DECISION ON ISSUE No. 2

16. As far this issue is concerned learned counsel for the petitioner argued that Annexures D-5 to D-1 were got printed by the respondent in violation of order dated 2nd September, 1994 (Annexure D-4), issued by the Election Commission of India. Therefore, this is in violation of the provisions of Section 100 (1) (d) (iv) of the

Act of 1951, as this direction was issued under Section 127-A of the Act of 1951. Learned counsel further argued that the petitioner got printed and published the material Annexures D-5 to D-11 in contravention of Section 127-A of the Act of 1951 read with order dated 2nd September, 1994 issued by the Election Commission of India.

17. On the other hand. Mr. Ravindra Shrivastava, learned Senior Advocate for the respondent argued that in the first instance the said point raised by the petitioner is not covered under Section 100 (1) (d) (iv), of the Act. Moreover, in order to attract the provisions of sub-clause (iv), the petitioner ought to have pleaded in the petition that on account of this, result of the returned candidate has been materially affected. Learned Senior Advocate further argued that on merits also there is no cogent evidence on record that the respondent or his agent or any other person with the consent of the respondent had published the said material.

18. As far as the point raised by learned counsel for the parties, whether the said action is covered under Section 100 (1) (d) (iv) of the Act, is concerned, sub-clause (iv) envisages that "(iv) by any non-compliance with the provisions of the Constitution or of this Act or of any rules or orders made under this Act". Section 127-A (1) of the Act speaks about restrictions on the printing of - pamphlets, posters, etc., which envisages that "no person shall print or publish, or cause to be printed or published any election pamphlet or poster which does not bear on its face the names and addresses of the printer and the publisher thereof". Section 127 (2) envisages that "no person shall print or cause to be printed any election pamphlet or poster-(a) unless a declaration as to the identity of the publisher thereof signed by him and attested by two persons to whom he is personally known, is delivered by him to the printer in duplicate; and (b) unless, within a reasonable time after the printing of the document, one copy of the declaration is sent by the printer together with one copy of the document-(i) where it is printed in the capital of the state, to the Chief Electoral Officer, and (ii) in any other case, to the district magistrate of the district in which it is printed". Therefore, if any election pamphlet or poster or election material is published in contravention of Section 127-A of the Act and order dated 2nd September, 1994, issued by the Election Commission of India under the said Section. I am of the considered opinion that it attracts the provisions of Section 100 (1) (d) (iv) of the Act, which can be made ground for declaring the election to be void.

19. However in the first instance the petitioner is not entitled to succeed on this ground, as it has not been mentioned in the petition that on account of this, election of the returned candidate has been meterially affected in order to raise this ground, the petitioner was duty bound to mention in the petition that on account of publication of these material in violation of the order issued by the Election Commission of India and Section 127-A of the Act, the result of election of the returned candidate has been materially affected.

20. Now, coming to the merits of the case, whether the petitioner has been able to prove this fact that the said material was got published by the respondent or his agent or by any other person with his consent or with the consent of the election agent, perusal of the evidence shows that the petitioner has failed to prove this fact, because, even though in para 8 of the petition it has been mentioned that the respondent got printed and published the material, but, in para 10 of the evidence, the petitioner himself has stated that the said violation has been committed by the respondent and the said material has been got published by the respondent. In cross-examination, para 50, the petitioner has stated that the said material was brought by voters to him and he does not remember the name of those persons who gave that material to him. He has improved his statement and further stated that he personally saw that the respondent was distributing these materials. But, such thing has not been mentioned in the petition it self. He has further stated that he dose not know whether the contents of these pamphlets are correct or not, he does not know who is the publisher and printer of these pamphlets, since these pamphlest are published in favour of the respondent, that is way he was saying that the respondent must have got them published or his persons must have got them published. He has not tried to find out where these pamphlets were published and printed.

21. Therefore, virtually the petitioner has not been able to bring on record any cogent, clear and clinching evidence in order to prove and connect the respondent that the pamphlets Annexures P-5 to P-12 were got published by the respondent or his agent or by any other person with the consent of the respondent or his agent.

22. As has been held by the Apex Court in the matter of R. P. Moidutty vs. P. T. Kunju Mohammad and another reported in (2000) 1 SCC 481,

"A heavy onus lies on the election petitioner seeking setting aside of the election of a successful candidate to make out a clear case for such relief both in the pleadings and at the trial."

The Court further held that :

"The onus of proof is not discharged merely on preponderance of probabilities the standard of proof required is skin to that of proving a criminal or a quasicriminal charge. Clear-cut evidence, wholly credible and reliable, is needed to prove beyond doubt the charge of corrupt practice."

23. On the above standard laid down by the Apex Court and the evidence adduced by the petitioner, discussed above, it has been denied by the respondent in his defence that he had not published these pamphlets Annexures P-5 to P-12. In this respect, if we look into the pleadings, the same is bereft of material facts and material particulars, and the pleadings and evidence adduced by the petitioner raises a gloomy picture. Therefore, the petitioner has failed to establish and prove this issue.

DECISION ON ISSUE No. 3

24. As far as this issue is concerned, in para 9 of the petition, it has been mentioned that in violation of order dated 5-1-1994 (Annexure D-12) issued by the Election Commission of India, the respondent affixed his posters, and flags on the Government poles and also on the electric transformers as is evident from Annexure D-13 which is a complaint made by Naveen Patel & Rajendra Agrawal to the Officer-in-charge, Rampur Outpost, Korba.

25. In return, the respondent has denied these allegations. In order to prove this issue, the petitioner has stated in para 12 of his evidence that the respondent himself and his supporters violated the order of the Election Commission of India. Near Budhawari Market on the distribution box of the transformer near pole No. 81 of the Madhya Pradesh Electricity Board posters and flags of Congress party candidates were affixed and hanged. Information regarding the same was given to the police by Naveen Patel & Rajendra Agrawal. In cross-examination, the petitioner has stated that nobody saw any person while affixing posters and hanging flags of the respondent on the Government property. In the petition it has been pleaded that posters and flags were being affixed and hanged on Government property and also on the electric transformers, means that the said posters were got affixed and hanged by the respondent, by his workers, whereas, this fact has been denied by the respondent. Therefore, on record vertually there is no evidence to the effect that either the respondent himself or his workers were seen by some one while affixing posters and hanging flags of the respondent, as such, the petitioner has failed to establish and connect the respondent that the respondent or his workers had affixed posters and hanged flags/banners on the Government property.

26. In this respect also the petition lacks in material facts and material particulars, because, as per the provisions of Section 83 (1) of the Act of 1951, the petitioner was required to plead the identity of persons who had affixed posters and hanged flags, with date and time, and also the identity of persons who saw the respondent or his agent or workers with the consent of the respondent affixing posters and hanging flags. No inference can be drawn against the respondent that he was responsible for affixing posters and hanging flags, merely because posters and flags of the respondent and his party were found on the alleged poles and transformers. Therefore, the petitioner has not been able to prove this issue also.

DECISION ON ISSUES No. 4 & 5

27. These issues are interlinked, therefore, they are being decided together.

28. As for as these issues are concerned, in para 10 of the petition the petitioner has mentioned that in contravention of order dated 15-1-1999 issued by the Election Commission of India, the then Chief Minister of Madhya Pradesh misused the Government helicopter and brought the respondent from Sakti to Katghora Helipad and thus, violated the conduct of conduct to influence the electors. This fact has been denied by the respondent in his written statement.

29. In order to prove these issues, the petitioner in para 14 of his evidence had stated that the then Chief Minister of Madhya Pradesh Mr. Digvijay Singh came on a Helicopter on 17-9-1999 at about 10 a. m. to Village Sakti for the respondent and then he took the respondent in the same Helicopter to Katghora. He further stated that he had not seen this fact, but this fact was told to him by Pawan Agrawal and Radhey Shyam Garg. Krishna Kumar Gabel & Ramesh Singhania told him that Mr. Digvijay Singh & Charan Das Mahant will go to Katghora from Sakti. Therefore, the petitioner had not seen the respondent and the then Chief Minister of M. P. going on the helicopter from Sakti to Katghora By misusing the Government helicopter. Even in examination-in-chief, in para 14, the petitioner has not stated that Mr. Digvijay Singh came on the Government helicopter to Sakti he has only stated that Mr. Digvijay Singh came by helicopter. Other persons to whom the petitioner has referred are Pawan Agrawal & Radhey Shyam Garg, who informed him about this fact. Only Pawan Agrawal has been examined Radhey Shyam Garg has not been examined. Even Pawan Agrawal has stated in his examination-in-chief that Mr. Digvijay Singh and the respondent came to Katghora by a helicopter, where as, the respondent has specifically stated in his evidence that on 17-9-1999 Mr. Digvijay Singh had not gone to Sakti by helicopter and he had not gone to Katghora from Sakti on the Government helicopter. Even Pawan Agrawal has stated in his evidence that Mr. Digvijay Singh has not delivered any speech, he talked with some persons and left. The respondent has further stated that only once Mr. Digvijay Singh came in his Constituency for campaigning purpose i. e. on 1-9-1999. In para 5 of his evidence, the respondent has clearly stated that on 17-9-1999 Mr. Digvijay Singh had not visited his constituency, nor had he addressed any public meeting.

30. If we look into paras 10 & 12 of the petition, charges levelled against the respondent are lacking in material facts and material particulars because it has not been mentioned as to who saw the respondent & Mr. Digvijay Singh misusing the Government helicopter, what was the time, and at which place the helicopter landed. In para 10, nothing has been mentioned about the above facts. Same is the position of paras 11 & 12 of the petition. Only allegations are that K. K. Gabel, Advocate made a complaint. It has not been mentioned that he saw the Government helicopter being used by Mr. Digvijay Singh if so at what time and place. Similar is the allegation in para 12 that Ramesh Singhania sent a complaint. It has not beer mentioned that he was witness to the allegation.

31. In view of the above evidence, the petitioner has not been able to bring on record any clean, cogent, clinching and independent evidence to prove and establish the fact that the then Chief Minister Mr. Digvijay Singh came by Government helicopter on 17-9-1999 to Sakti and from there he went to Katghora along with the respondent and delivered speech. Even the respondent has produced certified copy of logbook of the Government helicopter Ex. A-1, which shows that the Government helicopter had gone from Ambikapur to Ramanujganj for the period from 16-9-1999 to 18-9-1999.

DECISION ON ISSUE No. 6

32. As far as this issue is concerned, in para 13 of the petition, it has been mentioned that as per order dated 2-9-1994 issued by the Election Commission of India, the candidates should not exhibit excessive expenses in advertisement in newspapers for their election campaign, but the respondent violated the directions and code of conduct by incurring heavy expenses in huge, advertisement in daily newspapers, which are Annexures D-22 to D-31. it is also mentioned that in publication of these advertisements and campaign materials, the respondent incurred expenses of more than the perscribed limit of Rs. 15 lakhs.

33. The respondent has denied this fact and stated that the pleadings are fake and incorrect. It does not give the name of the newspapers. Whatever expenses, the respondent incurred on advertisement in newspapers have been duly accounted for and the petitioner has not come with material facts before the Court.

34. As has been mentioned in para 22 above, the Apex Court in the matter of R. P. Moidutty (supra) held that "A heavy onus lies on the election petitioner seeking setting aside of the election of a successful candidate to make out a clear case for such relief both in the pleadings and at the trial. The onus of proof is not discharged merely on preponderance of probabilities the standard of proof required is akin to that of proving a criminal or a quasi-criminal charge. Clear-cut evidence wholly credible and reliable is needed to prove beyond doubt the charge of corrupt practice."

35. In the first intance if we look into para 13 of the petition, the petitioner has not come with material facts and the pleadings lack in material particulars also. The petitioner has not mentioned the name of newspapers, the cost and what is the basis of his calculation of the cost of these materials. Simply it has been mentioned that the respondent violated the directions of the Election Commission of India and the code of conduct by incurring heavy expenses in advertisement in daily newspapers. Nothing has beer mentioned in this para that these materials were got published by the respondent himself or by his agent or by any other person with the consent of the respondent or with the consent of his agent. Whether the said expenditure was incurred by the respondent or the source of information from whom he received the information that the respondent got published these advertisements and incurred expenditure beyond Rs. 15 lakhs. He has not said that he has personal knowledge about the expenditure and bald allegations have been levelled.

36. If we look into the evidence, in examination-in-chief, para 18, the petitioner has stated, "I believe that the respondent incurred expenses beyond Rs. 15 lakhs", then he referred about the newspapers. But, in order to prove this fact, the petitioner has not produced the editor, printer or owner of these newspapers in order to prove that advertisements were published in these newspapers at the instance of the respondent returned candidate or by his agent or by any other person with the consent of the respondent or his agent. Merely produding these newspapers which carry advertisements with respect to the respondent ipso facto cannot be considered to be proved, unless the petitioner brings on record any legal, clinching, clear and cogent evidence which proves and establishes that the respondent got published these newspapers and as to how much expenses on each of the publications was incurred by the respondent. Therefore, in the first place, the pleading lacks in material facts and particulars.

37. The petitioner has tried to improve the allegations in the evidence, but even then he has not been able to prove. In para 14 of examination-in-chief, the petitioner has stated that he has calculated price merely on the basis of advertisements and looking to the rate of newspapers, thereby the respondent has incurred Rs. 11 lakhs. In para 41 he has stated, "In my estimate, the respondent has spent more than Rs. 15 lakhs in the public meetings". Therefore, all his evidence is based on guess work. In para 54, he has stated that he had not enquired from the publishers of the newspapers, nor he tried to obtain in writing from the owners and publishers of the newspapers about the expenditure and also about who got published these advertisements. Whereas, the respondent has clearly denied that these advertisements were got published by him.

38. In view of the above facts and discussions, the petitioner has utterly failed in proving this issue also. Apart from that it has not been mentioned in the petition that above facts materially affected the result of the respondent.

DECISION ON ISSUE No. 7

39. As far as this issue is concerned, in para 14 of the petition, it has been mentioned that the respondent in his electoral region distributed articles like match boxes, cigarette lighterts, Gudaku, rain coats, umbrellas, packets of Bidi, audio cassettes, plastic bags, scooter stepney covers, ball pens etc. all containing the name of the respondent and his election symbol with a view to influence the voters. This fact has been denied by the respondent in his return.

40. In respect of this issue also, the petitioner has not been able to raise pleadings in terms of Section 83 of the Act, because Section 83 (1) of the Act envisages that.

"An election petition,-

(a) shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies;

(b) shall set forth full particulars of any corrupt practice that the petitioner alleges, including as full a statement as possible of the names of the parties alleged to have committed such corrupt practice and the date and place of the commission of each such practice."

41. has been mentioned by the Apex Court in the matter of R. P. moidutty (supra),

"The legislature has taken extra care to make special provision for pleadings in an election petition alleging corrupt practice. Under Section 83 of the Act ordinarilly it would suffice if the election

petition contains a concise statement of the material facts relied on by the petitioner, but in the case of corrupt practice the election petition must set forth full particulars thereof including as full a statement as possible of (i) the names of the parties alleged to have committed such corrupt practice, (ii) the date, and (iii) place of the commission of each such practice. An election petition is required to be signed and verified in the same manner as is laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 for the verification of pleadings. However, if the petition alleges any corrupt practice then the petition has additionally to be accompanied by an affidavit in Form 25 prescribed by Rule 94-A of the Conduct of Elections Rules, 1961 in support of the allegations of such corrupt practice and the particulars thereof".

42. In F. A. Sapa vs. Singora reported in (1991) 3 SCC 375, the Apex Court held that

"A charge of corrupt practice has a two-dimensional effect: its impact on the returned candidate has to be viewed from the point of view of the candidate's future political and public life and from the point of view of the electorate to ensure the purity of the election process. There can, therefore, be no doubt that such an allegation involving corrupt practice must be viewed very seriously and the High Court should ensure compliance with the requirements of Section 83 before the parties go to trial."

The Apex Court further held that

"Allegation of corrupt practice being quasi-criminal in nature, the failure to supply full particulars at the earliest point of time and to disclose the source of information promptly may have an adverse bearing on the probative value to be attached to the evidence tendered in proof thereof at the trial."

43. If we look into para 14 of the petition regarding distribution of various items by the respondent, date, time and name of the persons who distributed the said items have not been disclosed. It has only been mentioned "On 15-9-1999 when above articles were being distributed by some congress workers at motisagarpara Korba Nagar, at about 1:00 P. M. Shri Nanki Ram Kanwar (Member of Legislative Assembly of Rampur Vidhan Sabha Constituency) saw the same whereupon the congress workers ran away leaving behind the material".

44. Mr. Nanki Ram Kanwar has been examined as PW-5. He has simply stated that on 15-9-1999 he made a complaint to the Election Observer who came to Korba that the congress workers are distributing Gudaku, matchbox and Bidi containing the symbol of Congress party on those items. He has stated that those articles were seized by one Dinesh Patel who was the party worker, brought by him and given to him. In cross-examination, para 5, he has stated that he had not seen the congress workers distributing these items. Therefore, the evidence of Mr. Nanki Ram Kanwar is totally contrary to para 14 of the petition. He has simply stated that Dinesh Patel who was the party worker brought these materials and said that these items were being distributed by the congress workers, whereas, Dinesh Patel has not been produced. The respondent has totally denied the distribution of these items by him or his workers.

45. Therefore, vertually, there is no evidence to show that the articles mentioned in para 14 were being distributed by the respondent or his agent or by any other person with the consent of the respondent or his election agent. In the circumstances, the petitioner has failed to establish and prove this issue also. Moreover, it has not been mentioned in the petition that the above act affected the resullt of the respondent, which is the mandatory requirement of Section 100 (1) (d) (iv) of the Act of 1951.

DECISION ON ISSUE No. 8

46. As far as this issue is concerned in para 16 of the petition it has been mentioned that Mr. Nanki Ram Kanwar sent a letter to the Chief Election Commissioner, New Delhi, and also to the Chief Election Officer, Bhopal and complained on 2-9-1999 that the Collectors of Janjgir & Champa both have infringed the code of conduct of election by making payments to forest labourers by way of bonus of Tendu Patta through Forest Departments Divisional Forest Officer in presence of the respondent and the Chief Minister.

47. In fact, the above allegation also is not in conformity with Section 83 of the Act. as the names of such persons to whom the said bonus was distributed have not been mentioned. Moreover, it has not been mentioned that the said bonus was distributed at the instance of the respondent or the Chief Minister. The place and time have also not been mentioned, as to when the bonus was distributed. The name of concerned Divisional Forest Officer has also not been mentioned. It has only been mentioned that bonus of Tendu Patta was distributed in presence of the respondent and the Chief Minister, which caused undue influence on the electors.

48. In respect of this issue also, the pleading lacks in material facts and material particulars. In order to prove this issue, the petitioner has examined himself and stated in para 48 of his evidence that the bonus of Tendu Patta was distributed in presence of the Divisional Forest Officer at Kartala. In cross-examination, para 57, he has stated that the distribution of bonus of Tendu Patta was done in presence of the Chief Minister and the respondent, which was seen by Mr. Nanki Ram Kanwar. But, it has not been mentioned in the petition that the bonus was distributed in presence of Mr. Nanki Ram Kanwar. Mr. Nanki Ram Kanwar in his evidence has stated that he made a complaint over telephone to the Chief Election Commissioner that the Collector has telephoned to the Divisional Forest Officer that the Chief Minister has said that the bonus of Tendu Patta be distributed, therefore no had made a complaint and also requested for removing the Collector. But, he has not stated that the bonus was distributed in his presence. Therefore, the evidence of PW-1, the petitioner that the bonus was distributed in the presence of Mr. Nanki Ram Kanwar becomes unreliable, because Mr. Nanki Ram Kanwar himself has not stated so. In cross-examination, para 7, Mr. Nanki Ram Kanwar has stated that they were raising objections that the bonus should not be distributed and the bonus was distributed on 1st September, 1999, whereas, the complaint was made on 2nd September 1999. He has admitted that in the complaint it has not been mentioned that the bonus was distributed in presence of the Chief Minister. PW-3 Ramayan Singh Rathiya has stated in his evidence that on 1st September, 1999, bonus was distributed in the presence of Mr. Digvijay Singh, whereas, the name of this withness has not been mentioned in para 16 of the petition that he was also a witness to the distribution of bonus PW-3 has further gone to the extent of stating that the bonus was distributed in the presence of Mr. Nanki Ram Kanwar, whereas, Mr. Nanki Ram Kanwar himself has not stated that bonus was distributed in his presence PW-3 has stated that Ranger Agrawal distributed the said bonus, but he has not been produced as witness.

49. Therefore, no independent witness has been produced to prove that the bonus was distributed in presence of Mr. Digvijay Singh and the respondent at their instance. Hence, the evidence adduced by the petitioner in this respect is gloomy to prove the fact of distribution of bonus, that too at the istance of Mr. Digvijay Singh or the respondent. Further, it has not been mentioned in the petition that this act materially affected the result of the respondent.

50. As has been held by the Apex Court in the matter of Surinder Singh vs. Hardial Singh and others reported in (1985) 1 SCC 91,

> "Where the evidence is wholly oral in character, that has to be scrutinized with greater rigour. Merely on the statements of some of the witnesses who are essentially party workers or supporters a charge of corrupt practice cannot be taken as proved. Oral evidence, Particularly coming from a tainted source, cannot form the sole basis of proof of corrupt practice."

51. In the instant case there is no independent evidence to prove the fact that bonus was distributed in the presence and at the instance of the then Chief Minister Mr. Digvijay Singh. Therefore, the petitioner has failed to prove this issue also.

DECISION ON ISSUE No. 10

52. As far as this issue is concerned, learned Senior Counsel for the respondent argued that the affidavit filed in support of the petition is not in conformity with proviso to Section 83(1) of the Act which envisages that "where the petitioner alleges any corrupt practice, the petition shall also be accompanied by an affidavit in the prescribed form in support of the allegation of such corrupt practice and the particulars thereof". The affidavit filed by the petitioner in support of the petition is not in conformity with Rule 94-A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as per the prescribed form (Form 25). Therefore, the petition is liable to be dismissed on this ground only.

53. On the other hand, learned counsel for the petitioner argued that the affidavit filed by the petitioner is in conformity with proviso to Section 83 (1) of the Act, Rule 94-A of the Rules, 1961, and Form 25.

54. In this connection, the Apex Court in the matter of Ravinder Singh vs. Janmeja Singh and others reported in AIR 2000 SC 3026, held that

> "An affidavit apart from other requirements must disclose the source of information in respect of the commission of that corrupt practice. Proviso to Section 83 (1) of the Act lays down, in mandatory terms, that where an election petitioner alleges any corrupt practice, the election petition shall also be accompanied by an affidavit, in the prescribed form, in support of the allegations of such practice and the particulars thereof."

55. Similarly, in the matter of Ananga Uday Singh Deo vs. Ranga Nath Mishra and others reported in AIR 2001 SC 2992, in para 32, the Apex Court held that

> "........where in the affidavit indication of source of information of the petitioner as to the facts stated in the petition which are not based on his knowledge and the petitioner persists that the verification is correct and the affidavit in the form prescribed does not suffer from any defect the allegations of corrupt practice cannot be inquired into and tried at all. In such a case the petition has to be rejected at the threshold for non-Compliance with the mandatory provisions of law as to pleadings."

56. In the matter of R. P. Moidutty (supra), the Apex Court held that

> "Neither the verification in the petition nor the affidavit gives any indication of the source of information of the petitioner as to such facts as were not in his own knowledge. The source of information is not disclosed."

The Court further held that

> "For want of affidavit in the required form and also for lack of particulars the allegations of corrupt practice could not have been enquired into and tried at all."

57. In the light of the above law laid down by the Apex Court, if we look into the affidavit filed by the petitioner, in clause (a) of the affidavit it has been mentioned that

> "the statement made in paragraphs 8 and 13 of the accompanying election petition about the commission of corrupt practice of printing and publishing of posters, leaflets, pamphlets and calendars without the mention of names and addresses of publisher and printers and exhibiting excessive expenses in advertisement in newspaper, campaign materials etc. of more than the prescribed limit of Rs. 15,00,000/- (Fifteen Lacs) and the particulars of such corrupt practice mentioned in paragraphs 8 and 13 of the same petition and in annexure D/5 to D/11 annexed there to are true to my knowledge."

In the petition and in the affidavit the petitioner has not been able to show as to how the above facts came into his personal knowledge, whereas, in the evidence before the court this witness (the petitioner) has stated that through his assumption he has made allegations in the petition regarding expenditure and printing of posters, leaflets, pamphlets, and calendars. The petitioner has not been able to show as to how these materials were published within his personal knowledge and what is the basis of his personal knowledge regarding expenditure. Similarly, regarding allegations in paras 9, 10, 11 & 14 of the petition, he has not disclosed the source of information. He has simply stated that these allegations are true to his information.

58. As has been mentioned in the above cited judgments of the Apex Court, the petitioner is required to disclose the source of information also. As per F. A. Sapa's case (Supra),

> "the omission to disclose the grounds or sources of information, though not fatal would weaken the probative value of the evidence ultimately led at the actual trial. Therefore, an election petitioner can afford to overlook the requirements of Section 83 on pain of weakening the evidence that he may ultimately tender at the actual trail of the election petition. The charge of corrupt practice has to be proved beyond reasonable doubt and not merely by preponderance of probabilities. Allegation of

corrupt practice being quasi-criminal in nature, the failure to supply full particulars at the earliest point of time and to disclose the source of information promptly may have an adverse bearing on the probative value to be attached to the evidence tendered in proof thereof at the trial."

59. In Rahim Khan vs. Khurshid Ahmed reported in (1974) 2 SCC 660, the Apex Court held that

> "It was not the requirement of Sections 83 and 87 of the Act or Rule 94-A and Form 25 thereof to mention the names of the witnesses as a source of information or as a part of the particulars. Every witness need not be mentioned as a source and every source informant need not be examined necessarily. However, omission to do so in a given case may reflect on the credibility of the evidence depending on the facts and circumstances of an individual case. The Court has to be careful to insist that the means of knowledge are mentioned right in the begining to avoid convenient embellishment and irresponsible charges; though, good and reliable testimony should not be stifled nor proof of corrupt practices thwarted by technicalities of procedure."

60. In Azhar Hussain vs. Rajiv Gandhi reported in 1986 Supp SCC 315, the Apex Court held that

> "Dates and particulars of the meetings should be given so as to eliminate the possibility that witnesses could be procured later on for adducing evidence. In the context of the charge of corrupt practices referable to distribution of certain pamphlets the Court held that the pleadings should have stated who had distributed the pamphlets when, where and to whom they were distributed and in whose presence. No amount of evidence could cure the basic defect in to pleadings."

61. Therefore, in view of the settled law, in the first instance, the petition itself lacks in material facts and full particulars of corrupt practice regarding distribution of pamphlets, who distributed, when and to whom they were distributed, in whose presence these pamphlets were distributed or affixed on the electric boxes or flags were hanged, who got the advertisements published in the newspapers, particulars of the newspapers, when the articles were distributed, and in whose presence they were distributed, these thinges have not been mentioned. Even date and time have also not been mentioned. In respect of the affidavit, it has been mentioned that paras 8 & 13 of the petition are to the personal knowledge of the petitioner, but the petitioner has not been able to prove in evidence that how he derived the personal knowledge and what is the source of information he has mentioned. For remaining sources of information, the petitioner has not disclosed names of persons from whom he derived the information, so that those persons can be produced at the time of evidence.

62. In the circumstances, the election petition lacks in material facts and material particulars, and does not conform to the requirements of Section 83 (1) (a) & (b) of the Act, and the affidavit filed by the petitioner in support of corrupt practice is also not in conformity with clause (a) of sub-section (1) of Section 83 of the Act read with Rule 94-A of the Rules, 1961 in the prescribed form (Form 25). Therefore, this petition is liable to be dismissed on this ground only.

63. In the result, the election petition is liable to be dismissed and it is accordingly, dismissed. Cost is quantified as Rs. 5,000/- to be paid to the respondent by the petitioner.

Sd/-

L. C. BHADOO,
Elcection Judge.